पत्रिका

उत्तराधिकार के लिए दत्तक पिता की अपील हाईकोर्ट ने खारिज की

अविवाहित पुत्री के निधन पर बीमा, बैंक में जमा राशि व संपत्ति का अधिकार उसके नॉमिनी का

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

बिलासपुर @ पत्रिका. हाईकोर्ट ने कहा है कि अविवाहित पुत्री का निधन होने पर उसके बीमा, बैंक में जमा राशि व अन्य संपत्ति पाने का अधिकार उसके नॉमिनी का होगा, दत्तक पिता का नहीं। दत्तक पिता का उत्तराधिकार के लिए प्रस्तुत वाद निरस्त किए जाने के खिलाफ प्रस्तुत अपील पर जस्टिस नरेन्द्र कुमार व्यास ने यह महत्वपूर्ण निर्णय पारित दिया है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आवेदक दत्तक पिता होने के नाते मृतका की संपत्ति प्राप्त करने का हकदार नहीं हो सकता। कानून की उपरोक्त स्थिति में यह स्पष्ट है कि नामित व्यक्ति को ही बीमा कंपनी द्वारा जारी पॉलिसी के अनुसार या बैंक में बचत खाते या सावधि जमा रसीद में जमा राशि प्राप्त करने का हकदार है। लेकिन उनका वितरण उनके उत्तराधिकार कानून के अनुसार होगा।

मृतक अविवाहित महिला है और मृतक के पिता की भी मृत्यु हो गई है, इसलिए उत्तराधिकार प्रदान करने के लिए दायर आवेदनों में शामिल संपत्तियों का उत्तराधिकार पाने के लिए मां ही एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी है। इसके साथ हाईकोर्ट ने दत्तक पिता द्वारा सिविल न्यायालय से परित आदेश के खिलाफ प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया।

यह है मामला: रायगढ़ जिले के पुसौर क्षेत्र निवासी खितिभूषण पटेल के छोटे भाई पंचराम पटेल पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे। उनका विवाह 1987 को फूलकुमारी पटेल के साथ हुआ। इससे उन्हें एक पुत्री ज्योति पटेल थी। 7 मई 1993 को पत्नी फूलकुमारी ससुराल छो?कर चली गई। पुत्री ज्योति अपने दादा कमलधर के साथ रहती थी। 26 जून 1999 को सेवाकाल के दौरान पंचराम पटेल की मृत्यु हो गई। इसके बाद दादा कमलधर पटेल का भी निधन हो गया। इसके बाद पंचराम के बड़े भाई अपीलकर्ता खितिभूषण ने ज्योति पटेल को पुत्री के रूप में विधिवत गोद लिया एवं अपने साथ रख भरण पोषण, शिक्षा व पूरा लालनपालन किया। इसके बाद ज्योति पटेल को पुलिस विभाग में अनुकंपा नियुक्ति मिली। दुर्भाग्यवश 17 सितंबर 2014 को अविवाहित अवस्था में ज्योति की मृत्यु हो गई। मृतक दत्तक पुत्री के सभी बैंक, बीमा पॉलिसी एवं अन्य दस्तावेज में दत्तक पिता ही नॉमिनी हैं। बेटी की मौत के बाद उसके खाते में जमा राशि लेने दत्तक पिता ने उत्तराधिकार प्राप्त करने सिविल कोर्ट में आवेदन पेश किया , आवेदन निरस्त होने पर उन्होंने हाईकोर्ट में अपील प्रस्तुत की थी।

मृत्युपूर्व कथन विश्वसनीय हो, तो वह अकेले ही दोषसिद्धि और सजा का आधार : कोर्ट

पत्नी की जलाकर हत्या करने के दोषी पति और सास का आजीवन कारावास बरकरार

बिलासपुर @ पत्रिका. हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि मृत्युपूर्व दिया गया कथन प्रमाणिक और विश्वसनीय पाए जाने पर उस पर भरोसा किया जा सकता है। बिना किसी पुष्टि के उसे दोषसिद्धि का एकमात्र आधार बनाया जा सकता है। कोर्ट ने इस आधार पर पति और सास की सजा बरकरार रखी है।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा एवं जस्टिस बीडी गुरु की डीबी में सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने मृत्युपूर्व बयान को विश्वनीय पाकर दहेज हत्या के आरोपी मां-बेटे की अपील खारिज कर दी। दोषियों को सत्र न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा हुई है।

यह है मामला: मालखरौदा क्षेत्र के ग्राम धमनी निवासी धनेश्वर यादव का 16 अप्रैल 2015 को राधा बाई के साथ विवाह हुआ था। आरोपी धनेश्वर यादव व उसकी मां मंगली बाई बहू राधा को छोटी-छोटी बातों पर गाली-गलौज और मारपीट कर परेशान करते थे। वे उससे उसके माता-पिता के घर से पैसे लाने के लिए कहते थे। 1 सितंबर 2021 को आरोपियों ने मिलकर राधा बाई के शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। 6 सितंबर 2021 को रायपुर के डीकेएस अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। वार्ड ब्वाय ओमप्रकाश वर्मा की सूचना पर मृत्यु के संबंध में थाना गोलबाजार रायपुर में प्रकरण दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया।

अपील में एफआईआर देर से होने को आधार बनाया: आरोपियों के विरुद्ध मालखरौदा थाने में धारा 304 बी, 302, 34 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर जांच की गई। आरोपी धनेश्वर यादव से माचिस और घटनास्थल से चौकोर कंबल, आधा जला पैंट, आधी जली साड़ी, प्लास्टिक की स्प्राइट बोतल जब्त की गई। जांच के पश्चात आरोपी धनेश्वर यादव और उसकी माँ मंगली बाई के विरुद्ध धारा 304 बी, 302, 34 आईपीसी के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सक्ती ने आरोपियों को धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील कर कहा कि दहेज हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराना अनुचित है।

27/06/2025 | Raipur City | Page : 13
Source : https://epaper.patrika.com/